रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 14, 2015/आश्विन 22, 1937
No. 269] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2015/ASVINA 22, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2015

संख्या यू-23013/15/2010-एल डब्ल्यू (.).- इस मंत्रालय के दिनांक 31 जुलाई, 2010 के संकल्प संख्या यू-23013/15/2010-एलडब्ल्यू (.) के अधिक्रमण में तथा दिनांक 25.08.2014 के अनुवर्ती संकल्प और ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा केन्द्रीय मालगोदाम निगम, कंटेनर फ्रैट स्टेशन, द्रोणागिरि, नोड, रायगढ़ के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम उन्मूलन के लिए समिति का गठन करता है।

2. इस समिति का संघटन तथा विचारार्थ विषय निम्नवत होंगे:-

(1) डॉ. विवेक मॉन्टीरो, सदस्य
सचिव,
मुंबई श्रमिक संघ का कार्यालय,
क्वारी रोड, भांडुप,मुंबई-400078

(2) श्री आलोक कुमार, सदस्य
कार्यकारी निदेशक,
सिविल इंजीनियरिंग, (सामान्य),
रेल मंत्रालय, (रेल बोर्ड),
नई दिल्ली।

(3) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) मुंबई। - संयोजक सदस्य

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:-

"केन्द्रीय मालगोदाम निगम, कंटेनर फ्रैट स्टेशन, द्रोणागिरि, नोड, रायगढ़ के प्रतिष्ठानों में सुरक्षा गार्ड (पहरा और निगरानी) नौकरियों/कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली की कार्यपद्धति का नए सिरे से अध्ययन तथा ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के प्रावधानों को ध्यान रखते हुए उपरोक्त प्रतिष्ठानों में उक्त नौकरियों/कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषेध करने या नहीं करने की उपयुक्त अनुशंसा करना"।

4. समिति का मुख्यालय मुंबई में होगा। समिति पक्षों की नए सिरे से सुनवाई करेगी, और यदि कोई निवेदन है तो निवेदनों की अनुमति देगी तथा अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगी।

ए. के. सिंह, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD)

RESOLUTION

New Delhi, the 14th October, 2015

No.U-23013/15/2010-LW (.).— In supersession of this Ministry's Resolution No. U-23013/15/2010-LW dated 31st July, 2010 and subsequent resolution dated 25.08.2014 and in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour in the establishment of the Central Ware Housing Corporation, Container Freight Station, Dronagiri, Node, Raigad.

2. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under:-

(i)	Dr. Vivek Monteiro, Secretary, Office of Mumbai Shramik Sangh, Quarry Road, Bhandup, Mumbai-400078	-Member
(ii)	Shri Alok Kumar, Executive Director, Civil Engineering, (General) Ministry of Railways, (Railway Board), New Delhi.	-Member
(iii)	RLC(Central), Mumbai	-Member Convenor

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows:-

"To study the working of contract labour system in the jobs/works Security Guard (watch and ward) in the establishments of Central Ware Housing corporation, Contrainer Freight Station, Dronagiri, Node, Raigad, afresh and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/works in the said establishments be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970".

4. The Headquarter of the Committee will be at Mumbai. The Committee shall hear the parties afresh, allow submissions, if any and submit its report within three months.

A.K.SINGH, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.